राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग/ Cooperative Department

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण.पत्र/ Registration Certificate

क्रमांक/ S.No. COOP/2019/JAIPUR/104747 दिनांक/ Date 26-08-2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि JAI SHRI MAHAKAL SEVA DHARMARTH SANSTHAN (SEVA DHAM) जिला JAIPUR का रजिस्ट्रेशन 'राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958)' के अन्तर्गत आज किया गया। यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

It is certified that JAI SHRI MAHAKAL SEVA DHARMARTH SANSTHAN (SEVA DHAM) at district JAIPUR is registered under 'The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Rajasthan Act No. 28, 1958)'.This certificate is issued today under my digital signatures.

Validity unknown

Digitally Signed by Mukut Singh Jadawat
Designation : REGISTRAR
Date: 2019.08.26 16:35:06 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

रजिस्ट्रार, संस्थाएं/ Registrar Societies

Note: This is a digitally signed certificate and does not required any physical signature. Also, this certificate can be validated using QR Code or online at https://swcs.rajasthan.gov.in/societyregistration/verifycertificate.aspx

जय श्री महाकाल सेवा धर्मार्थ संस्थान (सेवा धाम)

दुकान नं. 28, 29 गुप्ता क्लिनिक के पास, 22 गोदाम रोड़, हवा सड़क, जयपुर 302006 (राज0)

संस्थापक सदस्यगण एवं कार्यकारिणी सदस्यगण :–

संरक्षकगण

डॉ. स्वामी नारदानन्द जी सिद्ध आश्रम, रामघाट, उज्जैन (एम.पी.)	**श्री निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रज्ञानन्द गिरी जी महाराज प्लाट नं. 438, कटेवा नगर, न्यू सॉगानेर रोड़, जयपुर**	**श्री प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन और सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार खाचरियावास हाउस, सिविल लाइन्स, जयपुर**

				हस्ताक्षर
संस्थापक अध्यक्ष	(1) डॉ. रामगोपाल गुप्ता	गुप्ता क्लिनिक 22 गोदाम रोड़ हवा सड़क, जयपुर 302006 (राज0)	मो.नं. 9828199393, 8560956846	R.Gupta
अध्यक्ष	(2) श्री राम अवतार अग्रवाल	विनायक ट्रेड़िग कम्पनी, गंग गणेश मन्दिर के सामने, झोटवाड़ा, पानीपेंच, जयपुर	मो. नं. 9314517513	रामावतार अग्रवाल
उपाध्यक्ष	(3) श्री पवन गोयल	सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर	मो. नं. 9414075415	P.G.
सचिव	(4) श्री राजेश काबरा	5 ड 15, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर	मो. नं. 7891551000	R.K.
कोषाध्यक्ष	(5) श्री सुरेश कुमार गुप्ता	दुकान नं. 28–29, गुप्ता क्लिनिक के पास, 22 गोदाम रोड़, हवा सड़क, जयपुर राज. 302006	मो.नं. 9351388116	SKGPG
सह–कोषाध्यक्ष	(6) श्री श्याम अग्रवाल	प्लॉट नं. 81, सैक्टर –5, विद्याधर नगर, जयपुर	मो. नं. 9314753880	Shyam
सदस्यगण	(7) श्री मुकेश बंसल	प्लॉट नं. 40/10, स्वर्ण पथ मानसरोवर, जयपुर, राज0	मो.नं. 9928422226	Mukesh
	(8) श्रीमती सरिता बंसल	प्लॉट नं. 40/10, स्वर्ण पथ मानसरोवर, जयपुर, राज0	मो.नं. 9079034334	Sarita Bansal
	(9) श्रीमती सुशीला अग्रवाल	प्लॉट नं. 81, सैक्टर –5, विद्याधर नगर, जयपुर	मो. नं. 8003354084	Sushila
	(10) श्रीमती मंजु गुप्ता	5 ड 15, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर	मो. नं. 8239727000	Manju Gupta
	(11) श्री हनुमान सहाय अग्रवाल	6 लाजपत नगर, खातीपुरा रोड़, झोटवाडा, जयपुर 302012	मो. नं. 9828037310	हनुमान सहाय
	(12) श्री दिनेश काबरा	प्लाट नं. 5 ड 12, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर, राज0	मो. नं. 9829780649	Dinesh
	(13) श्री श्याम गोयल	सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर	मो.नं. 9414075416	Shyam
	(14) श्री मिलिन्द गुप्ता	गुप्ता क्लिनिक 22 गोदाम रोड़ हवा सड़क, जयपुर 302006	मो.नं. 7877852570	M Gupta
	(15) श्री कमल गोयल	सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर	मो.नं. 9414228470	Kamal

जय श्री महाकाल सेवा धर्मार्थ संस्थान (सेवा धाम)

दुकान नं. 28, 29 गुप्ता क्लिनिक के पास, 22 गोदाम रोड़, हवा सड़क,
जयपुर 302006 (राज0)

संविधान नियमावली

1.	संस्था का नाम	जय श्री महाकाल सेवा धर्मार्थ संस्थान (सेवा धाम)
2.	संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्य क्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय दुकान नं. 28, 29 गुप्ता क्लिनिक के पास, 22 गोदाम रोड़, हवा सड़क, जयपुर 302006 (राज0)
3.	संस्था के प्रमुख उदेश्य	1. धमार्थ संस्थान में आने वाले (भर्ती) पुरूषों एवं महिलाओं के आवास का निर्माण 2. प्राथमिक चिकित्सालय का निर्माण
4.	संस्था के उद्देश्य	1. निर्धन, विकलांग एंव असहाय वृद्ध व्यक्तियों के लिए "सेवा धाम" के नाम से वृद्धाश्रम निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, मनोरंजन एंव पुस्तकालय आदि व्यवस्थाओं के साथ संचालित करना। 2. असहाय, पीडित, शोषित एंव विक्षिप्त महिलाएँ एंव पुरूषों को निःशुल्क आवास, चिकित्सा, भोजन एंव जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर आवासीय आश्रम संचालित करना। 3. गरीब, वृद्ध, विकलांग एंव असहाय महिला एंव पुरूषो के लिये निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु स्थाई एंव चल चिकित्सा इकाई की स्थापना करना। 4. असहाय, पीडित एंव लावारिसों को विभिन्न स्थानों से आश्रम में उनकी पर्याप्त देखभाल हेतु लाने के लिए एक निःशुल्क मोबाइल इकाई का गठन कर संचालन करना। 5. दुर्घटनाग्रस्त एंव असहाय लावारिस पीडितों के लिए आपात चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सभी सुविधाओं सहित मैडीकल हैल्पलाइन संचालित करना। 6. लावारिस, पीडित एंव असहाय बालक–बालिकाओं को निःशुल्क आवास, चिकित्सा, भोजन, शिक्षा, प्रशिक्षण एंव अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सम्मानित नागरिक बनाने हेतु अवसर प्रदान करना। 7. गरीब एंव लावारिस वयस्क बालिकाओं के लिए उचित वर तलाश कर उनकी शादी कराना एंव उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने में मदद करना। 8. एड्स, कुष्ठ एंव अन्य संक्रामक बीमारियों से संबंधित रोगियों जो कि समाज से बहिष्कृत हो जाते है के लिए आवास, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना। 9. साठ वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों हेतु डे केयर सेंटर संचालित करना। 10. परिवारों में वृद्धजनों के महत्व एंव सम्मान हेतु जागरूकता लाने का प्रयास करना। 11. पशु पक्षियों के प्रति अहिंसा, शाकाहारी प्रवृत्ति को बढ़ावा वृक्षारोपण एवं वृक्षों की उपयोगिता तथा वायु मण्डल को प्रदुषण से मुक्त करने हेतु आवश्यक प्रयास करना। 12. यह संस्थान संसार/भारत में समाज के सभी वर्गों (बाल, महिला, वृद्ध, प्रौढ, निर्धन, कमजोर, पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, असहाय, रोग से ग्रस्त आदि सभी के लिए) सभी प्रकार की शिक्षा–तकनीकी, प्रोफेशनल, चिकित्सकीय, वैज्ञानिक, सामाजिक, साहित्यक, यौगिक आदि सभी प्रकार के प्रशिक्षण, योग एंव अभ्यास आदि के लिए काम करते हुए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, योगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान केन्द्र, आदि की स्थापना, व्यवस्था एंव संचालन करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं मौलिक शिक्षा के सिद्धान्तों को अंगीकृत करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में

R. Gupta — संस्थापक अध्यक्ष | अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

		काम करेगा। पुस्तकालय, वाचनालय, धर्मशाला, छात्रावास, विधवा आश्रम, बाल संरक्षण, गृह तथा विभिन्न प्रकार के आवश्यक आश्रमों की स्थापना एंव संचालन करेंगा। खेलकूद प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करेगा और आवश्यकता पडने पर संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र आईटीआई, नर्सिंग स्कूल, अस्पताल मेडिकल (आयुर्वेद, होम्योपैथिक, नैचुरलपैथी एंव ऐलोपैथी) कॉलेज एंव इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना एंव संचालन करेगा। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।
5	सदस्यता	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे- 1. संस्था के कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत में निवास करते हों। 2. बालिग हो। 3. पागल, दिवालिये न हो। 4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हो। 5. संस्था के हित को सर्वोपरी समझते हो।
6	सदस्यों का वर्गीकरण	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:- 1. संस्थापक सदस्य 2. आजीवन सदस्य 3. साधारण सदस्य
7	सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चंदा	नियम 6 में अंकित सदस्यो द्वारा शुल्क/चंदा निम्न प्रकार देय होगा:- 1. संस्थापक सदस्य रू. 21000/- 2. आजीवन सदस्य रू. 11000/- 3. साधारण सदस्य रू. 2100/- संरक्षक मण्डल में तीन व्यक्ति होगें, जिनके द्वारा शुल्क /चंदा देय नही होगा। संरक्षक मण्डल के सदस्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होगें। जिनका चयन संस्थापक सदस्यों द्वारा किया जाने का प्रस्ताव पारित किया गया हैं। ये संस्था के सदस्य होगें लेकिन इन्हें मताधिकार नही होगा।
8	महाकाल मासिक पत्रिका	इस मासिक पत्रिका का आजीवन शुल्क रू. 1100/- होगा। जिसमें प्रतिदिन की गतिविधियों का मासिक लेखा-जोखा एवं मासिक आय--खर्च का लेखा-जोखा, सभी सदस्यों को महाकाल मासिक पत्रिका द्वारा हर माह सूचित किया जावेगा।
9	सदस्यता से निष्कासन	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:- 1. मृत्यू होने पर 2. त्याग-पत्र देने पर 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4. प्रबन्ध कारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर 5. पागल या दिवालिया होने पर निष्कासन के विरूद्ध व्यथित व्यक्ति 15 दिन में अपील अनुशासनात्मक समिति को कर सकेगा। अनुशासनात्मक समिति का गठन संस्थापक सदस्यों द्वारा किया जावेगा।
10	साधारण सभा	संस्था के उप नियम सं. 6 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन मताधिकार एंव चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार केवल संस्थापक सदस्यों को ही होगा।
11	साधारण सभा के अधिकार एंव कर्त्तव्य	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे:- 1. नियम 10 के अधीन रहते हुए प्रबन्ध कारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबन्ध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा व पुष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

संस्थापक अध्यक्ष | अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

12	साधारण सभा की बैठकें	1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निधारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5. संस्था के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन करने पर ही मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निधार्रित अवधि में कोई भी तीन सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस तरह की बैठक में 1/3 सदस्यों का क़ोरम होने पर ही समस्त निर्णय वैधानिक व सवर्मान्य होंगे।
13	कार्यकारिणी का गठन	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें:– संरक्षक मण्डल (3 सदस्यीय) संस्थापक अध्यक्ष –1, अध्यक्ष –1, उपाध्यक्ष –1, सचिव–1, कोषाध्यक्ष –1 , सहकोषाध्यक्ष –1, सदस्य कार्यकारिणी – 9 इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में संरक्षक मण्डल के अलावा 6 पदाधिकारी व 9 सदस्य होंगे।
14	कार्यकारिणी का निर्वाचन	1. मताधिकार व चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नियम 10 के अनुसार केवल संस्थापक सदस्यों को ही होगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी।
15	कार्यकारिणी के अधिकार एंव कर्त्तव्य	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :– 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।
16	कार्यकारिणी की बैठकें	1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 6 बैठकें दो माह के अन्तराल से अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेंगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्ध कारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित समय व स्थान पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्ध कारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

संस्थापक अध्यक्ष | अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

17	प्रबन्ध कारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एंव कर्त्तव्य	संस्था की प्रबन्ध कारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे:– 1. सरंक्षक मण्डल : संस्था की समस्त गतिविधियों पर नजर रखना, संस्था के अहित में हो रहे कार्यों को रोकना, ऐसे निर्णय जिसे वह संस्था के हितों के विपरीत समझते हों उसे पुनर्विचार हेतु कार्यकारिणी को भेजना (1) A संस्थापक अध्यक्ष : 1. संस्थान में रहकर समस्त गतिविधियों पर नजर रखना, संस्था के अहित में हो रहे कार्यों को रोकना, संस्था के वाहन का उपयोग संस्था के कार्यों में करना। 2. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 3. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना 4. संस्थापक अध्यक्ष को संस्था के हित में किसी भी व्यक्ति को संस्थापक सदस्य बनाने का अधिकार होगा। 5. आय व व्यय पर नियन्त्रण रखना। 6. संस्थापक अध्यक्ष को अपने शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर अपना उत्तराधिकारी, संस्थापक सदस्यों में से ही किसी एक को नियुक्त करने का अधिकार होगा, जो पूर्ण रूप से पीडित मानवता को समर्पित इस संस्था को विधान व संविधान के अनुसार सुचारू रूप से चला सके, ताकि कोई भी व्यक्ति भविष्य में संस्था के अहित में कार्य नही कर सके, नियुक्त किये हुए संस्थापक सदस्य को (उत्तराधिकारी को) संस्थापक अध्यक्ष के समस्त अधिकार/कर्त्तव्य प्राप्त होगें। भविष्य में यह प्रक्रिया निरन्तर संस्था के हित का ध्यान रखते हुए चलती रहेगी। 7. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 8. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों। 2. अध्यक्ष : 1. बैठकों की अध्यक्षता करना। 2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। 3. बैठकें आहूत करना। 4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। 3. उपाध्यक्ष : 1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। 2. प्रबन्ध कारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना। 4. सचिव 1. बैठकें आहूत करना। 2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना। 3. आय–व्यय पर नियंत्रण रखना। 4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियत्रंण रखना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पारित करना। 5. पत्र व्यवहार करना।

संस्थापक अध्यक्ष | अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

		5. कोषाध्यक्ष : 1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना। 2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण करना। 3. चंदा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना। 4. अन्य प्रदत्त कार्य संपन्न करना।
		6. उप कोषाध्यक्ष : 1. कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष पद के समस्त कार्य संचालन करना। 2. अन्य कार्य जो प्रबन्ध कारिणी/मंत्री द्वारा उसे सौंपे जायें।
18	संस्था का कोष	संस्था का कोष निम्न प्रकार संचित होगा :– 1. चंदा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान (अ) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अधिसूचित व्यापारिक बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। (ब) संस्थापक अध्यक्ष/अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।
19	कोष संबंधी विशेषाधिकार	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :– 1. संस्थापक अध्यक्ष रू. 2,00,000/– 2. अध्यक्ष रू. 25,000/– 3. मंत्री रू. 20,000/– 4. कोषाध्यक्ष रू. 10,000/– उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्ध कारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।
20	संस्था का अंकेक्षण	संस्था के समस्त लेखों जोखों का द्विवार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्ध कारिणी द्वारा की जावेगी। अंकेक्षण रिपोर्ट एंव द्विवार्षिक लेखों की एक प्रति रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर को प्रस्तुत करनी होगी।
21	संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
22	संस्था की चल–अचल सम्पत्ति के संबंध में अधिकार	संस्था के नाम यदि कोई जमीन/भवन आदि का क्रय अथवा विक्रय किया जाता है इसका निर्णय संस्थापक अध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा लिया जा सकेगा। इसके अलावा यदि अन्य कोई सम्पत्ति संस्था के नाम है तो उसका विक्रय भी संस्थापक अध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की आपसी सहमति एवं निर्णय से ही संभव होगा। जिससे प्राप्त समस्त विक्रय प्रतिफल की राशि/आय का उपयोग उपभोग संस्था के अधीन निर्माण या विकास के कार्यो में ही कार्यकारिणी की मिटिंग में रखे प्रस्ताव के अनुसार लिया जा सकेगा।

संस्थापक अध्यक्ष | अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

23	संस्था के पदाधिकारी द्वारा कार्यमुक्ति के संबंध में	यदि कोई संस्थापक सदस्य किसी भी कारणवश संस्था के कार्यो से मुक्त होता है तो उसके द्वारा अपनी स्थान पर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नामित कर अपना कार्यभार उसे प्रदान कर सकेगां।
24	कानूनी सलाहकार व कानूनी क्षेत्राधिकार	बृजराज गौतम एडवोकेट, प्लाट नं. 12, महाराजा कॉलोनी, पी.एन.बी गली, तीन दुकान सीकर रोड़, जयपुर – किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निस्तारण के लिये कानूनी क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।
25	मनोनीत करने का अधिकार	संस्थापक सदस्य को निःशुल्क 11 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होगा, लेकिन उक्त मनोनीत सदस्य कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया में भाग नही ले सकेगें।
26.	संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।
27.	धारा 6व 13 की सूचना	सस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम व पते के परिवर्तन होने पर उसकी सूचना प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर को प्रेषित की जावेगी।
28.	संस्था का समापन	यह कि संस्था का समापन किया जाता है तो संस्था की सभी कोष व संपत्तियों का निस्तारण किया जावेगा उसमें से सर्वप्रथम देनदारी का भुगतान किया जावेगा। शेष बचि हुइ संपत्तियों को इस संस्था के समान उद्देश्य वाली संस्था को प्रधान आयकर आयुक्त महोदय (छूट) की पूर्व अनुमति से स्थानान्तरित किया जावेगा। किसी भी परिस्थिती मे शेष बची हुई संपत्तियों को संस्था बोर्ड के सदस्यों/उनके रिश्तेदारों एवं उनसे संबंधित फर्मो में स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा।
29.	संस्था की अखण्डता	इस संस्था को अखण्डनिय स्थिर घोषित किया जाता है।

1. नकल देने ... 26-8-2020
2. नकल ...

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) जय श्री महाकाल सेवा धर्मार्थ संस्थान (सेवा धाम) दुकान नं. 28, 29 गुप्त क्लिनिक के पास, 22 गोदाम रोड, हवा सड़क, जयपुर 302006 (राज.) की सही व सच्ची प्रति है।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर

स्थान : जयपुर

दिनांक 29.7.2020

हस्ताक्षर

संस्थापक अध्यक्ष	अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष